संoसंo– 5 बजट (1) 06/2023 47

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 10.03.23

विषय– **मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में राज्य योजना मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में कुल मो0 648.7095 लाख (छः करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार नौ सौ पचास) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 632.409 लाख (छः करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए शेष राशि के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में कुल मो0 648.7095 लाख (छः करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार नौ सौ पचास) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 632.409 लाख (छः करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए शेष राशि के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण करते हुए इन्हें मत्स्य बीज हैचरी कॉम्प्लेक्स के रुप में विकसित करने हेतु उपयुक्त बनाया जाना है। इससे राज्य में स्थानीय तौर पर अधिकाधिक मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जा सकेगा।

2. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्षों में प्रत्यर्पण पश्चात् उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :–

(क) मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन

(राशि लाख रु0 में)

क	मद एवं विपत्र कोड	प्रत्यर्पण पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	4	5	6
1	लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–79–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन की योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार 53 S 24050079679010544	35.00	35.00	0.00
	उप योग :	**35.00**	**35.00**	**0.00**

Scanned by CamScanner

(ख) माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय (राशि लाख रु0 में)

क	मद एवं विपत्र कोड	प्रत्यर्पण पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	4	5	6
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–73–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण– 45–निर्माण कार्य **53 S 44050010173010545**	370.00	370.00	0.00
2	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उप शीर्ष–73–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– 45–निर्माण कार्य **53 S 44050079673010545**	400.00	227.409	172.591
	उप योग :	**770.00**	**597.409**	**172.591**
	कुल योग :	**805.00**	**632.409**	**172.591**

मो0 632.409 लाख (छः करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार नौ सौ) रू0 मात्र।

3. मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन के तहत् विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार मद में निम्न हैचरियों की मरम्मति/जीर्णोद्धार हेतु व्यय किया जायेगा –

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	डोरण्डा मत्स्य फॉर्म, राँची के हैचरी स्टॉफ रुम तथा ओवरहेड टैंक का जीर्णोद्धार कार्य	23,08,400/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 02.08.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
2	मत्स्य कॉलोनी, गुमला स्थित हैचरी भवन का जीर्णोद्धार कार्य	7,51,900/–*	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	गुमला
3	जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में अवस्थित ब्रीडिंग पूल, नर्सरी टैंक, स्पॉन कलेक्शन टैंक की मरम्मति एवं वाटर प्रूफिंग कार्य	4,52,500/–	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा द्वारा दिनांक 22.11.2021 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
	कुल योगः	**35,12,800/–**		

4. मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य मद में निम्न मत्स्य प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करते हुए हैचरी कॉम्प्लेक्स के रुप में विकसित करने पर व्यय किया जायेगा –

कम	निर्माण कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	बेंगी बिशुनपुर का आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के रुप में विकास	3,61,29,000/–**	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 21.12.2020 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	देवघर
2	चास प्रखण्ड के रायबांध तालाब, चन्दाहा पर एक सीमेन्टेड मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण	24,88,250/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बोकारो द्वारा दिनांक 09.09.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	बोकारो
	उप योग :	**3,86,17,250/–****		

Scanned by CamScanner

लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना				
1	चकधरपुर अंचल अंतर्गत कोलचोकरा फॉर्म का आधारभूत संरचना कार्य	73,30,400/–	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा द्वारा दिनांक 21.09.2019 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
2	अनगड़ा, राँची में मॉडर्न फिशरीज कैम्पस का विकास कार्य	1,54,10,500/–***	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 04.11.2020 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
	उप योग :	2,27,40,900/–		
	कुल योग :	6,13,58,150/–		

नोट : (i) * प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 7,51,900/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में जीर्णोद्धार मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 7,39,100/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 12,800/– रु0 मात्र (मत्स्य कॉलोनी, गुमला स्थित हैचरी भवन का जीर्णोद्धार कार्य के लिए मात्र) का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(ii) ** प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 3,86,17,250/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्माण कार्य मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 3,70,00,000/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 16,17,250/– रु0 मात्र (बेंगी बिशुनपुर का आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए मात्र) का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(iii) * मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 04.11.2020 को प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि मो0 197.34 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध जीर्णोद्धार कार्यों को हटाते हुए तद्नुसार कर आदि की गणना कर प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 154.105 लाख रु0 मात्र है।**

5. चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत उपबंधित राशि के अधीन ही उपरोक्त अंकित कंडिका '3' एवं '4' के लिए राशि का व्यय लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत् सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही किया जायेगा।

6. कंडिका '4' में अंकित निर्माण कार्यों यथा देवघर जिला में बेंगी बिशुनपुर का आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के रुप में विकास तथा पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत कोलचोकरा फॉर्म का आधारभूत संरचना कार्य की सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति पूर्व के अनुसूची दर पर है। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के द्वारा वर्तमान अनुसूची दर पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी एवं अंतर राशि हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु समुचित बजट उपबंध एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत कोलचोकरा फॉर्म में हैचरी कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु भी वर्तमान अनुसूची दर पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु समुचित बजट उपबंध एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके तथा इस प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

कंडिका '4' में अंकित कार्य अनगड़ा, राँची में मॉडर्न फिशरीज कैम्पस का विकास कार्य की परियोजना में जीर्णोद्धार तथा निर्माण दोनों प्रकार के कार्य हैं। मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की सारणी के आलोक में क्रमांक 8, 12, 14 एवं 15 के जीर्णोद्धार कार्यों को छोड़कर निर्माण कार्यों हेतु राशि की गणना (कर आदि सहित) मो0 154.105 लाख (एक करोड़ चौवन लाख दस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के रुप में की गई है। परियोजना की सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति पूर्व के अनुसूची दर पर है। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची के द्वारा वर्तमान अनुसूची दर पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति (जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों हेतु अलग–अलग) प्राप्त की जाएगी एवं अंतर राशि हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु समुचित बजट उपबंध एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

Scanned by CamScanner

साथ ही इस फॉर्म में हैचरी कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु भी वर्तमान अनुसूची दर पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु समुचित बजट उपबंध एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके तथा इस प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/गुमला/पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/बोकारो तथा देवघर होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (देवघर जिला को छोड़कर) द्वारा वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

जबकि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर द्वारा वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के पी0 एल0 खाते में हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को नियमानुसार देय शुल्क की भी गणना कर मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु समुचित बजट उपबंध एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर चयनित स्थलों पर हैचरी निर्माण की गुणवत्ता मॉडल प्राक्कलन के अनुरुप कराने के साथ–साथ स्वीकृत अन्य जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

8. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

9. चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में केन्द्र प्रायोजित – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् दिनांक 31.05.2022 को संपन्न SLAMC की बैठक में महेशपुर, राँची के वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रस्ताव को पुनर्वैधिकृत कर वित्तीय वर्ष 2022–23 में सम्मिलित करने का अनुरोध भारत सरकार से पूर्व में किया गया है। किन्तु इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् भारत सरकार से अबतक प्राप्त नहीं हुई है। कार्य की महत्ता को देखते हुए महेशपुर, अनगड़ा, राँची में मॉडर्न फिशरीज कैम्पस के विकास कार्य को मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना–राज्य योजना के तहत् क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

13. वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु स्वीकृत बजट उपबंध मो0 200.00 लाख (संशोधित बजट उपबंध मो0 192.11 लाख) रुपये में से मो0 168.21 लाख रुपये मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

Scanned by CamScanner

15. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

16. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 47 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 10/03/23

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी / झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची एवं संबंधित सभी मुख्य/अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियंताओं को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 47 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 10/03/23

प्रतिलिपिः– योजना–सह–विकास विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 47 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 10/03/23

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner